HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1995/2026

Prabhu Lal S/o Ramaji, Aged About 34 Years, Adopted S/o Pokhar, Resident Of Kagso Ka Badiya Police Station Kareda District Bhilwara. (At Present Lodged In District Jail, Bhilwara)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sunil Vishnoi
For Respondent(s)	:	Mr. Sameer Pareek, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

13/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– बिगोद जिला– भीलवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 75/2019 अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में एक लावारिस वाहन से 91 किलोग्राम अफीम डोडाचूरा बरामद होना बताया गया है तथा उक्त लावारिस वाहन का कब्जाधारी मनसुख पाया गया और मनसुख द्वारा नारायण को माल सप्लाई करना बताया गया और नारायण और मनसुख दोनों की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में नारायण द्वारा धारा 27 के अंतर्गत उक्त माल की सप्लाई करना बताया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सारभूत साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 21.01.2026 से अभिरक्षा

में चल रहा है। प्रकरण के अनुसंधान/विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट व अनुसंधान पत्रावली प्रस्तुत की गई है और जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका कथन है कि वाहन से 91 किलोग्राम अफीम डोडापोस्त बरामद हुआ है जो वाणिज्यिक मात्रा है तथा अनुसंधान में आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा माल नारायण को दिया जाना तथा नारायण द्वारा मनसुख को सप्लाई किया जाना बताया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त वाहन से 91 किलोग्राम अफीम डोडाचूरा लावारिस मात्रा में बरामद हुआ है तथा अन्य सहअभियुक्तगण मनसुख तथा नारायण की जमानत याचिकाएं पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त के सचेत आधिपत्य से माल बरामद नहीं हुआ है।

नारायण की सूचना के अतिरिक्त अन्य कोई सारभूत साक्ष्य अभिलेख पर इस तथ्य को प्रमाणित करते हुए नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने उक्त माल नारायण को सुपुर्द किया हो। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **प्रभुलाल पुत्र रामाजी** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब निम्न शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

शर्तें:–

प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक माह की 25 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त शर्त का उल्लंघन करता है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को सख्त अनुपालना हेतु भेजी जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

76-Yogeshwar Sharma/-